

प्रेषक

.....
.....

स्थान :

दिनांक :

सेवा में
प्रबंधक
इंडियन बैंक

.....

प्रिय महोदय,

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करते हैं कि मुझसे / हमसे बिना पूछे इस अधिकार का अधित्यजन बैंक के पक्ष में प्रकट रूप से मैं / हम करता हूँ / करते हैं, बैंक द्वारा समय समय पर अनुबद्ध दांडिक दर / दरों सहित ऐसी दरों पर अथवा मासिक तौर पर चक्रवर्धित % प्रतिवर्ष ब्याज पर रुपए की वित्तीय सहायता ऋण / ओवरड्राफ्ट के रूप में मुझे / हमें प्रदान करें।

2. ऐसे ऋण / ओवरड्राफ्ट पर बकाया राशि की चुकौती, जिसमें ब्याज लागत, प्रभार आदि शामिल हैं, के लिए प्रतिभूति के रूप में मैं / हम इसके द्वारा इस ज्ञापन के पृष्ठ भाग पर दिये अनुसार आपके पास मेरे / हमारे नाम पर जमा किए गए रुपए (रुपए) की जमा राशि के लिए आपके पक्ष में ग्रहणाधिकार का सृजन करता हूँ / करते हैं।

3. ऐसी बकाया राशियों के लिए उक्त जमा / जमाओं को प्रतिभूति के रूप में धारण करने के लिए बैंक को अधिकार प्राप्त है। यदि ओवरड्राफ्ट खाता जिसमें जमा-शेष रहता हो किसी समय अथवा समय-समय पर घटे या समाप्त हो जाए, तो भी उक्त जमा / जमाएँ सतत प्रतिभूति के रूप में रहेगी/ रहेंगी। समय-समय पर खाते में देय किसी अंतिम शेष के लिए मैं/हम व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हूँ/हैं।

4. मैं / हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उक्त जमा / जमाएं समनुदेशित / भारग्रस्त नहीं हुई है अथवा गिरवी नहीं रखी गयी हैं और सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त हैं।

5. इस जमा / इन जमाओं की परिपक्वता तरीख से पहले ही, इस खाते या किसी अन्य खाते पर निकलने वाली बकाया शेष राशि की, ब्याज प्रभारों आदि सहित, चुकौती के लिए उक्त जमा खाते / खातों में उपलब्ध शेष का विनियोजन करने के लिए मैं / हम आपको प्रधिकृत करता हूँ / करते हैं तथा इस अवधि के लिए जो दर इस जमा / इन जमाओं की पूर्व-चुकौती के लिए लागू होती हो, वही ब्याज-दर इस अवधि के लिए अनुमत की जा सकती है। यदि मेरी / हमारी ओर से इस / इन सावधि जमा रसीद/दों के नवीकरण के लिए बैंक को कोई अनुरोध प्राप्त हो, तो इस / इन नवीकृत जमा / जमाओं का उपचित ब्याज सहित या रहित, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिभूति के रूप में उसी रीति से जिस रीति से मूल जमा रसीद / रसीदें रखी गई हैं, धारण करने के लिए बैंक को अपनी सहमति देता हूँ / देते हैं। समय-समय पर जमा / जमाओं पर उपचित ब्याज ऋण / ओवरड्राफ्ट के प्रति समायोजित किया जा सकत है।

6. बैंक को सौंपी गई प्रतिभूतियों का, वर्तमान में प्रदत्त ऋण/ओवरड्राफ्ट के लिए सतत प्रतिभूति के रूप में प्रचलित होने के अलावा ऐसी सभी धन राशियों के लिए भी, जेकि बैंक के किसी कार्यालय में चाहे

किसी भी तरीके से हो या किसी भी हैसियत से हो, मेरी/हमारी ओर से उस समय देय होती हो, या इसके बाद देय होनेवाली हो, प्रतिभूतियों के रूप से प्रचलित होना जारी रहेगा तथा ऐसी जमा/जमाओं के उक्त ऋण/ओवरड्राफ्ट के मामले में विनियोजन के बाद यदि कोई बेशी राशि बच जाती हो तो अन्य देयताओं के समायोजन में, जो मेरी/हमारी ओर से, चाहे किसी भी खाते में बैंक के किसी कार्यालय में देय होती हो, चाहे ये देयताएं अकेले की हो या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से हो तथा मुख्य कर्जदार के रूप में हो या गरंटीकर्ता के रूप में, उस बेशी राशि का उपयोग किया जाएगा।

7. मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती हूं/करते हैं कि शाखा में मेरे/हमारे बचत खाता/चालू खाता/ओडी खाता संख्या में ऋण राशि जमा करें।

8. मैं/हम बैंक द्वारा मुझे/हमें दिए गए ऋण/अग्रिम की पूर्व शर्त से सहमत हूं/हैं कि यदि मैं/हम नियत तारीख पर ऋण/अग्रिम के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज की अदायगी में या निर्धारित किस्तों के भुगतान में चूक करते हैं तो बैंक और/या भारतीय रिजर्व बैंक के पास मेरे/हमारे नाम या हमारी कंपनी/फर्म/यूनिट और उसके निदेशकों/भागीदारों/मालिक के नाम का डिफॉल्टर के रूप में खुलासा या प्रकाशित करने का अनर्ह अधिकार होगा एवं ऐसे माध्यम से जो बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

9. ऋण का उद्देश्य

भवदीय,
हस्ताक्षर
पता
.....
.....

जमा रसीद / खाता संख्या	जमाकर्ता का नाम	टीडीआर / खाता खुलने की दिनांक	परिपक्वता की दिनांक	अवधि माह	ब्याज दर %	राशि / शेष रुपये
1	2	3	4	5	6	7

कार्यालयीन उपयोग के लिये

हस्ताक्षर सत्यापित। ग्रहणाधिकार नोट किया गया।

सहायक प्रबंधक / प्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक